

- चार अंतर्जनपदीय लुटेरे गिरफ्तार
- 07 मोबाइल, 03 अवैध तमंचे मय 06 कारतूस, दो मोटरसाइकिल, 14 चाभियां, 01 टैब, 01 एटीएम, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 तराजू इलेक्ट्रॉनिक व 2920 रु0 नकद बरामद

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस एवं सर्विलांस टीम के द्वारा दिनांक 14.09.2022 को थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत घटित लूट की घटना का अनावरण करते हुए चार अंतर्जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 28.10.2021 को उ0नि0 विनोद कुमार मय हमराहियान द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 233/22 धारा 392 भादवि0 बनाम अज्ञात से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. गंगाराम अवस्थी पुत्र



कैलाश अवस्थी नि0ग्राम बहुती थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र 20 वर्ष 2.धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बद्री पासी नि0ग्राम बहुती थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र 26 वर्ष 3. सोनू मिश्रा पुत्र शैलेन्द्र मिश्रा नि0ग्राम अस्ति थाना बीकेटी जनपद लखनऊ देहात उम्र 22 वर्ष 4. रोशन पुत्र बृजलाल नि0ग्राम बहुती थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र 20 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर को सफीपुर नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से, एक एटीएम स्टेट बैंक नं0 6075320076438091 धारक VIMAL SONI GOPAL NARAYANSON, दो चाभी के गुच्छे जिन मे छोटी बड़ी कुल 14 चाभियां जो दो छल्लो मे

बन्धी है, 2920 रुपये नगद, एक तराजू इलेक्ट्रॉनिक, कुल सात मोबाइल (1. एक मोबाइल VIVO 2. एक मोबाइल JIVI, 3. एक मोबाइल रेडमी 4. एक मोबाइल INFINIX 5. एक मोबाइल REDMI MI NOTE 10, 6. एक मोबाइल VIVO Y 91I व 7. एक अदद मोबाइल REAL ME C2) , एक मोटरसाइकिल हीरो पैंशन प्रो, एक मोटरसाइकिल अपाचे, दो अदद तमंचा 315 बोर मय 04 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर, 01 अदद तमंचा 12 बोर मय दो अदद कारतूस 12 बोर, एक टैबलेट सैमसंग, एक आधार कार्ड, एक पैनकार्ड नं0 POSPS3045L बरामद हुआ।

उपरोक्त चारो अभियुक्त रोशन, गंगाराम, धर्मेन्द्र व सोनू से अन्य पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 14.09.022 को हम लोगो ने सफीपुर रोड पर सिर्सचेरी से अपनी दुकान बन्द करके घर जा रहे सुनार को तमंचा दिखाकर एक पिट्टू बैग व मोबाइल छीन लिया था। पूछताछ पर रोशन ने बताया कि यह गाड़ी हमने व धर्मेन्द्र ने मिलकर लखनऊ के दुबग्गा के पास से उठा ली थी। अभियुक्त गंगाराम ने पूछने पर बताया कि रेडमी नोट 10 मोबाइल साथी धर्मेन्द्र ने अपने किसी अन्य साथी के साथ मिलकर जोगश पार्क के पास थाना दुबग्गा लखनऊ देहात से एक औरत से छीनकर मुझे चलाने के लिए दे दिया था। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम धर्मेन्द्र कुमार उपरोक्त 2. मु0अ0सं0 259/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम सोनू मिश्रा उपरोक्त 3. मु0अ0सं0 260/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट बनाम उपरोक्त 4. मु0अ0सं0 261/22 धारा 41/411/414 भादवि बनाम चार अभियुक्तगण उपरोक्त 5. मु0अ0सं0 262/22 धारा 420/467/468/471 भादवि बनाम रोशन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. गंगाराम अवस्थी पुत्र कैलाश अवस्थी नि0ग्रा0 बहुती थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र 20 वर्ष
2. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बट्टी पासी नि0ग्राम बहुती थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र 26 वर्ष
3. सोनू मिश्रा पुत्र शैलेन्द्र मिश्रा नि0ग्राम अस्ति थाना बीकेटी जनपद लखनऊ देहात उम्र 22 वर्ष
4. रोशन पुत्र बृजलाल नि0ग्राम बहुती थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर उम्र 20 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1. एक एटीएम स्टेट बैंक नं0 6075320076438091 धारक VIMAL SONI GOPAL NARAYANSON,
2. दो चाभी के गुच्छे जिन मे छोटी बड़ी कुल 14 चाभियां जो दो छल्लो मे बंधी है,
3. 2920 रुपये नगद,
4. कुल सात मोबाइल (1. एक मोबाइल VIVO 2. एक मोबाइल JIVI, 3. एक मोबाइल रेडमी 4. एक मोबाइल INFINIX 5. एक मोबाइल REDMI MI NOTE 10, 6. एक मोबाइल VIVO Y 91I व 7. एक अदद मोबाइल REAL ME C2) ,
5. एक मोटरसाइकिल हीरो पेशन प्रो,
6. एक मोटरसाइकिल अपाचे,
7. दो अदद तमंचा 315 बोर मय 04 अदद कारतूस जिन्दा 315 बोर,
8. 01 अदद तमंचा 12 बोर मय दो अदद कारतूस 12 बोर,
9. एक टैबलेट सैमसंग,
10. एक आधार कार्ड,
11. एक पैनकार्ड नं0 POSPS3045L
12. एक तराजू इलेक्ट्रानिक,

<u>अभियुक्त गंगाराम अवस्थी का आपराधिक इतिहास</u>		
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा
1	233/22	392/411 भादवि थाना आसीवन
2	261/22	41/411/414 भादवि थाना आसीवन
<u>अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र बट्टी का आपराधिक इतिहास</u>		
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा
1	233/22	392/411 भादवि थाना आसीवन
2	258/22	3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसीवन
3	261/22	41/411/414 भादवि थाना आसीवन
4	04/21	60 आबकारी अधिनियम थाना मिश्रिख जनपद सीतापुर
<u>अभियुक्त सोनू मिश्रा पुत्र शैलेन्द्र मिश्रा का आपराधिक इतिहास</u>		
क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा
1	233/22	392/411 भादवि थाना आसीवन

2	259/22	3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसीवन
3	261/22	41/411/414 भादवि थाना आसीवन
4	234/20	354/504/506 भा0दं0वि0 पॉक्सो एक्ट थाना बीकेटी जनपद लखनऊ
5	202/22	392 भादवि थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ

अभियुक्त रोशन पुत्र बृजलाल का आपराधिक इतिहास

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा
1	233/22	392/411 भादवि थाना आसीवन
2	260/22	3/25 आर्म्स एक्ट थाना आसीवन
3	261/22	41/411/414 भादवि थाना आसीवन

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 विनोद कुमार
2. उ0नि0 श्री स्वदेश कुमार यादव
3. उ0नि0 श्री तेजपाल पाण्डेय
4. उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार सरोज
5. हे0का0 अनिल अवस्थी
6. हे0का0 रामप्रताप मौर्या
7. का0 बैजनाथ
8. का0 रोहित सिंह
9. का0 रवीन्द्र यादव
10. का0 संजय यादव
11. का0 अजय चौहान
12. का0 विजय प्रताप
13. का0 सौरभ कुमार
14. का0 मानवेन्द्र यादव

सर्विलांस टीम

कां0 राधेश्याम

• **दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 23.7.2022 को अभियुक्त राजकुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मलौना हाल पता परसण्डा थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा वादिनी के घर में घुस कर वादिनी के साथ गलत काम करना व जान से मारने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में वादिनी द्वारा मु0अ0सं0 292/22 धारा 452/376/506 भादवि दिनांक 06.09.2022 को थाना बिहार पर पंजीकृत कराया गया। आज दिनांक 28.10.2022 को उ0नि0 जय नारायण मिश्रा मय हमराह फोर्स द्वारा अभियुक्त राजकुमार उपरोक्त को ग्राम परसण्डा से गिरफ्तार किया गया



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. राजकुमार पुत्र चन्द्रिका प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम मलौना हाल पता परसण्डा थाना बिहार जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 जयनारायण मिश्र थाना बिहार उन्नाव ।
2. हे0का0 सज्जाद अली थाना बिहार उन्नाव ।
3. का0 दिलीप कुमार थाना बिहार उन्नाव

• **महिला की हत्या में शामिल चार अभियुक्त गिरफ्तार**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं क्षेत्राधिकारी महोदया सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस एवं स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा दिनांक 22/23.10.2022 को थाना क्षेत्रांतर्गत घटित महिला की हत्या की घटना में शामिल चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 23.10.2022 को वादी मोहम्मद हसीन पुत्र कमरुद्दीन नि० ग्राम सैंता थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर तहरीरी सूचना दी गई कि उसकी बहन कहकसा की शादी दिनांक 21.05.2022 को जावेद पुत्र नूर मोहम्मद नि० ग्राम डकौली थाना फतेहपुर चौरासी



जनपद उन्नाव के साथ हुई थी। दिनांक 22.10.2022 को वादी की बहन अपने देवर नौखेज पुत्र नूर मोहम्मद निवासी डकौली थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव के साथ बांगरमऊ गई हुई थी, लेकिन देर रात तक वापस न आने पर वादी को सूचना दी गई। दिनांक 23.10.2022 को वादी की बहन का शव जसरा मारुफपुर के पास मिला, वादी की बहन की हत्या नौखेज उपरोक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 300/22 धारा 302/201 भादवि के आरोपी नौखेज पुत्र नूर मोहम्मद निवासी डकौली थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव व अन्य अज्ञात साथी पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 28.10.2022 को प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता, निरीक्षक विजय कुमार यादव, उ०नि० विमलकान्त गोयल मय हमराह पुलिस बल व स्वाट टीम प्रभारी प्रदीप कुमार मय हमराह स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा घटना में शामिल अभियुक्तगण 1. नौखेज पुत्र नूर मोहम्मद निवासी डकौली थाना

फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव व अन्य साथियों 2. सुभाष गौतम पुत्र राम सहाय निवासी झब्बूखेड़ा थाना सफीपुर , 3. गौरव द्विवेदी पुत्र श्रवण निवासी माहरूपपुर जसरा थाना सफीपुर, 4. अश्वनी गौतम पुत्र राजकुमार निवासी मो0 उमेदराय बाजार कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव को कब्जे से 03 अदद मोबाइल व 02 अदद मोटर साइकिल बरामद कर कोयलीखेड़ा के आगे पटियारा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. नौखेज पुत्र नूर मोहम्मद निवासी डकौली थाना फतेहपुर चौरासी जिला उन्नाव,
2. सुभाष गौतम पुत्र राम सहाय निवासी झब्बूखेड़ा थाना सफीपुर,
3. गौरव द्विवेदी पुत्र श्रवण निवासी माहरूपपुर जसरा थाना सफीपुर,
4. अश्वनी गौतम पुत्र राजकुमार निवासी मो0 उमेदराय बाजार कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव ।

माल बरामदगी

1. एक अदद SAMSUNG कीपैड मोबाइल काला रंग,
2. एक अदद टच स्क्रीन Redmi मोबाइल नीला रंग,
3. एक अदद टच स्क्रीन POCO मोबाइल ग्रे-काला रंग
4. एक अदद हीरो मोटर साइकिल पैसेन प्रो नम्बर (UP35BJ8708) लाल रंग
5. एक अदद मोटर साइकिल बजाज पल्सर 220 CC नम्बर (UP32JE8530) नीला रंग

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार गुप्ता थाना एफ-84
2. निरीक्षक श्री विजय कुमार यादव थाना एफ-84
3. उ0नि0 श्री विमल कान्त गोयल थाना एफ-84
4. हे0का0 विनोद कुमार थाना एफ-84
5. का0 अमरेन्द्र कुमार पटेल थाना एफ-84
6. का0 शिवा चौधरी थाना एफ-84
7. म0का0 सोनू तिवारी थाना एफ-84

स्वाट/सर्विलांस सेल टीम

1. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार प्रभारी स्वाट टीम
2. उ0नि0 श्री राजेश मिश्रा स्वाट टीम
3. हे0का0 अब्दुल जब्बार सर्विलांस सेल
4. का0 राधेश्याम सर्विलांस सेल
5. का0 आशीष मिश्रा स्वाट टीम
6. का0 अंकित बैसला स्वाट टीम
7. का0 रवि कुमार स्वाट टीम
8. का0 सुनील कुमार स्वाट टीम
9. का0 चालक अमर सिंह

• **चोरी के मोबाइल के साथ एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया**

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल के साथ एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 28.10.2022 को वादी मुकदमा श्री छोटू उर्फ शिव कुमार पुत्र मुन्ना निवासी लक्ष्मी खेड़ा थाना आसीवन जिला उन्नाव की लिखित सूचना बावत दो अज्ञात बाइक सवार द्वारा वादी का मोबाइल ठेले से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 871/2022 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत कराया गया था। जिसमें चौकी प्रभारी मगरवारा मय हमराहीगण के मुखबिर की सूचना पर मिर्जा चैरिटेबल नेहरुबाग के गेट के पास से बाल अपचारी तौफीक पुत्र मो0 शकील निवासी रहमत नगर एक मिनारी मस्जिद मखैया ताल थाना गंगाघाट जिला उन्नाव उम्र 17 वर्ष को चोरी के मोबाइल सहित नियमानुसार पुलिस संरक्षण में लिया गया।

बाल अपचारी का विवरण:-

1.तौफीक पुत्र मो0 शकील निवासी रहमत नगर एक मिनारी मस्जिद मखैया ताल थाना गंगाघाट जिला उन्नाव उम्र 17 वर्ष

बरामदगी:-

• एक अदद मोबाइल OPPO कम्पनी रंग आसमानी

पुलिस संरक्षण में लेने वाली टीम:-

- उ0नि0 संदीप कुमार मिश्रा चौकी प्रभारी मगरवारा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
- उ0नि0 रोहित कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी ललऊखेड़ा थाना कोतवाली सदर उन्नाव
- का0 हरिओम सिंह
- का0 विकास वर्मा